



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-3209/JH/126/2024-RO-RNC

दिनांक: 13.09.2024

सेवा में,

श्रीमती मेरी मेबुल प्रभावती डाडेल,  
पति - श्री हरीनारायण भट्टाचार्यी,  
निवास - भूदा, गुरुनानक कालेज के पीछे,  
थाना - धनसार,  
जिला - धनबाद (झारखंड)

विषय: अभ्यावेदिका श्रीमती मेरी मेबुल प्रभावती डाडेल, पति - श्री हरीनारायण भट्टाचार्यी, निवास - भूदा, गुरुनानक कालेज के पीछे, थाना - धनसार, जिला - धनबाद (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ उसके घर का विक्रयनामा करने के बाद पूर्ण रकम का भुगतान किये बिना बेईमानी से घर पर कब्जा करने और बकाया रकम के भुगतान की मांग करने पर महिला को धमकी देने एवं जातिगत दुर्व्यवहार करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है की आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा जी ने आपके मामले में सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ दिनांक 20.09.2024 को 05:00 बजे, आयोग मुख्यालय, न्यायालय कक्ष, 6वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सुनवाई/सिटिंग तय की है। सम्बंधित प्राधिकारी को आयोग में उपस्थित होने के लिए अलग से समन जारी कर दिया गया है।

2. अतः आपसे अनुरोध है की उक्त सुनवाई/सिटिंग की तिथि को आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी

ई-मेल: [researchofficer-esdw@ncst.nic.in](mailto:researchofficer-esdw@ncst.nic.in)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. माननीया सदस्य महोदय (अ. ला.) के निजी सचिव।
2. एन. आई. सी. अनुभाग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग, आयोग की website पर अपलोड करने हेतु।